आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
1.7.2017	**राज सात वाद संख्या– 31/2008–09** **राज्य** **बनाम** **मो0 हनीफ अंसारी एवं अन्य** **आदेश** यह वाद पुलिस अधीक्षक, गढ़वा के पत्रांक– 915 दिनांक– 30.07.2008 द्वारा नगर उंटारी थाना कांड संख्या– 138/08 दिनांक– 12.06.2008 में जब्त 11.10 क्वीटल चावल 39.22 क्वीटल गेंहू एवं नीला रंग का बिना नम्बर का ट्रैक्टर का अधिग्रहण करने हेतु प्राप्त पत्र पर प्रारम्भ किया गया है। विपक्षी मो0 हनीफ अंसारी एवं महेन्द्र यादव दोनो को सूचना निर्गत कर कारण पृच्छा की मांग करने के साथ–साथ अनुमंडल पदाधिकारी नगर उंटारी से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई । विपक्षी मो0 हनीफ अंसारी की ओर से कारण पृच्छा एवं जी0आर0 वाद संख्या– 691/08 राज्य बनाम हनीफ अंसारी में पारित ओदश की प्रमाणित प्रति की छायाप्रति तथा अनुमंडल पदाधिकारी नगर उंटारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन का अवलोकन करने के साथ–साथ सरकारी विज्ञ अधिवक्ता एवं विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता के तर्क को सुना। विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का तर्क में कहना है कि विपक्षी के विरूद्ध की जा रही कार्रवाई संधारणीय नही है। नगर उंटारी थाना द्वारा स्थापित थाना कांड संख्या– 138/2008 जिससे जी0आर0 वाद सं0– 691/08 संस्थापित हुआ है में पुलिस द्वारा 11.10 क्वीटल चावल, 78 जूट के बोड़ा में 39.22 क्वीटल गेंहू एवं एक ट्रैक्टर टेलर के साथ जब्त किया गया। तर्क में आगे उनका यह भी कहना है कि विपक्षी मो0 हनीफ अंसारी जन वितरण प्रणाली दुकानदार जिनका खाद्यान्न जब्त किया गया है तथा विपक्षी महेन्द्र यादव जब्त ट्रैक्टर के चालक थें जिसका वाहन मालिक गीता देवी थी । जी0आर0 वाद संख्या– 691/08 में दिनांक– 21.04.2009 को पारित आदेश के तहत जब्त ट्रैक्टर गीता देवी के पक्ष में विमुक्त किया गया तथा दिनांक– 12.08.2008 को पारित ओदेश में जब्त खाद्यान्न को विमुक्त कर दिया गया है। जिसे कार्डधारियों के बीच वितरित कर दिया गया है। विपक्षी के विरूद्ध गलत वाद संस्थापित किया गया था। प्रस्तुत तर्क में उनके द्वारा चल रही कार्यवाही को समाप्त करने हेतु अनुरोध किया गया है। राज्य की ओर से सरकारी विज्ञ अधिवक्ता द्वारा विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क के संदर्भ में मौखिक समर्पण किया गया है कि जी0आर0 वाद संख्या– 691/08 में पारित आदेश के तहत जब्त ट्रैक्टर एवं	

खाद्यान्न को विमुक्त किया जा चुका है।

सरकारी विज्ञ अधिवक्ता एवं विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता के तर्क को सुनने अनुमंडल पदाधिकारी, नगर उंटारी से प्राप्त प्रतिवेदन एवं विपक्षी की ओर से जी0आर0 वाद संख्या– 691/08 में पारित आदेश की प्रमाणित प्रति की छायाप्रति के साथ दाखिल कारण पृच्छा के साथ–साथ संपूर्ण अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पुलिस अधीक्षक, गढ़वा से प्राप्त पत्र के आधार पर नगर उंटारी थाना कांड सं0– 138/08, दिनांक– 12.06.2008 में जब्त प्रश्नगत ट्रैक्टर एवं खाद्यान्न पर अधिग्रहण करने की कार्रवाई प्रारम्भ की गई है परन्तु अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी के जी0आर0 वाद संख्या– 691/08 में दिनांक– 21.04.2009 को पारित आदेश के तहत उक्त जब्त ट्रैक्टर को मुक्त किया गया है तथा उक्त जी0आर0 वाद संख्या– 691/08 में दिनांक– 12.08.2008 को पारित आदेश के तहत जब्त खाद्यान्न को विपक्षी हनीफ अंसारी के पक्ष में मुक्त किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी नगर उंटारी से प्राप्त प्रतिवेदन से भी स्पष्ट होता है कि नगर उंटारी थाना कांड सं0– 138/08 में जब्त ट्रैक्टर एवं खाद्यान्न को अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी, गढ़वा के आदेश से मुक्त किया जा चुका है। यद्यपि कि अनुमंडल पदाधिकारी, नगर उंटारी द्वारा अपने प्रतिवेदन में मुक्त खाद्यान्न को वितरण के संबंध में स्पष्ट नही किया गया है फिर भी विपक्षी मो0 हनीफ अंसारी जो जन वितरण प्रणाली के दुकानदार हैं, के द्वारा दाखिल कारण पृच्छा एवं उनके विज्ञ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क से पता चलता है कि न्यायालय द्वारा मुक्त किया गया खाद्यान्न को कार्डधारकों के बीच वितरित कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में जब्त खाद्यान्न जो अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा जी0आर0 वाद संख्या– 691/08 में पारित आदेश के तहत मुक्त किया गया खाद्यान्न जो उक्त वितरित किया जा चुका है, तथा मुक्त किया गया ट्रैक्टर का अधिग्रहण (राजसात) करने का कोई औचित्य नही रह जाता है।

फलतः उपरोक्त वर्णित परिपेक्ष्य में इस वाद की कार्रवाई को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त – सह–
जिला दंडाधिकारी, गढवा

उपायुक्त–सह–
जिला
दण्डाधिकारी,गढ़वा।

Digitally signed by SHEKHAR JAMUAR
Date: 2024.06.15 12:33:34 +05:30
Location: 192.168.31.7